रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2008/पौष 17, 1929

No. 11] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2008/PAUSA 17, 1929

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 3 दिसम्बर, 2007

भारत गणराज्य और बुल्गारिया गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 15(अ).—जबकि भारत गणराज्य और बुल्गारिया गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 23 अक्तूबर, 2003 को सोफिया में हस्ताक्षर किए गए थे; तथा इस संधि के अनुच्छेद 20 के अनुसरण में यह संधि 1 फरवरी, 2007 से प्रवृत्त हो गई है और जिस संधि में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :-

भारत गणराज्य और बुल्गारिया गणराज्य जो कि इसके पश्चात् संविदाकारी पक्षकार कहलाएंगे, प्रत्यर्पण के क्षेत्र में विधिक सहयोग को विकसित करने की इच्छा रखते हुए निम्नलिखित के लिए सहमत हैं :

अनुच्छेद-एक
प्रत्यर्पण दायित्व

इस संधि में विनिर्दिष्ट प्रावधानों और शर्तों के अनुसार और विधिवत रूप से अनुरोध करने पर प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने क्षेत्र के भीतर स्वयं अपने राष्ट्रिकों को छोड़ते हुए उन व्यक्तियों को सौंपेगा जो आरोपी हों अथवा जिन पर किसी प्रत्यर्पणीय अपराध का दोष सिद्ध किया गया हो ।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा प्रत्यर्पण हेतु अपेक्षित व्यक्ति के संबंध में सामान्य प्रक्रियाओं को समाप्त करने के लिए विधिक रूप से अनुमान्य सभी उपाय करेंगे जब तक कि उनके सौंपे जाने तक उनके प्रत्यर्पण के अनुरोध के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता है और जहां प्रत्यर्पण अनुरोध प्रदान कर दिया गया हो ।

3. प्रत्यर्पणीय अपराध को चाहे किसी भी स्थान अथवा स्थानों पर अंजाम दिया गया हो अनुरोधकर्ता पक्षकार प्रत्यर्पण प्रदान करेगा;

(क) जब वह व्यक्ति जिसका प्रत्यर्पण अपेक्षित है, अनुरोधकर्ता पक्षकार का राष्ट्रिक हो;

(ख) जब अपेक्षित व्यक्ति किसी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं हो, बशर्ते अपेक्षित व्यक्ति के कृत्य ऐसे अपराध के समान हों जिससे अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के तहत अनुरोधकर्ता पक्षकार अथवा उसके राष्ट्रिकों के हित प्रभावित होते हों और अनुरोधप्राप्त पक्षकार उसके लिए अभियोजन हेतु न्यायाधिकार का दावा नहीं करें ।

अनुच्छेद-दो
प्रत्यर्पणीय अपराध

1. प्रत्यर्पण उन अपराधों के संबंध में प्रदान किया जाएगा जो दोनों संविदाकारी पक्षकारों के कानून के तहत न्यूनतम कारावास की अवधि अथवा कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अन्य प्रकार की स्वतंत्रता से वंचित करने के द्वारा दण्डनीय हो। यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध एक या एक से अधिक दण्डों के लिए किया गया हो तो प्रत्यर्पण तभी प्रदान किया जाएगा जब एक या एक से अधिक प्रत्यर्पणीय अपराधों के लिए उस दण्ड की औसत अवधि, जिसे अभी दिया जाना है, छह महीने से कम नहीं हो ।

2. यदि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध में अनेक पृथक अपराध शामिल हो, जिनमें से कुछ दिए जा सकने वाले दण्ड की मात्रा के संबंध में पैरा -1 में निहित शर्त को पूरा नहीं करते हो तो उस अपराध के लिए प्रत्यर्पण प्रदान किया जाएगा जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों । यह नियम केवल उन अपराधों पर लागू होगा जो इस संधि की अन्य शर्तों को पूरा करते हों ।

3. प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पणीय अपराध को अंजाम देने के षड्यंत्र का प्रयास करने उसमें सहायता करने, प्रेरित करने उसके लिए उकसाने और सहयोगी के तौर पर उसमें भाग लेने के लिए किया जाएगा बशर्ते पैरा 1 में निहित शर्तें पूरी हो ।

अनुच्छेद -तीन

प्रत्यर्पित करने से इंकार

1. प्रत्यर्पण उन मामलों में प्रदान नहीं किया जाएगा जबकि

(क) वांछित व्यक्ति पर अनुरोध प्राप्त कर्त्ता पक्ष के न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उस अपराध अथवा अपराधों के संबंध में जिसके या जिन के लिए अनुरोध किया गया है आपराधिक कार्यवाहिया प्रारंभ की गई हैं या कोई निर्णय पारित किया गया है;

(ख) प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से, आपराधिक अभियोजन अथवा दण्ड का निष्पादन कालातीत द्वारा बाधित हो गया है जो दोनों संविदाकारी पक्षों की विधि के तहत एक परिसीमा बनता है ।

2. प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा यदि अपराध, जिसके संबंध में यह अनुरोध किया है, जिसे अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष द्वारा एक राजनैतिक अपराध, राजनैतिक प्रकृति के किसी अपराध के रूप में, अथवा ऐसे किसी अपराध से संबंधित किसी अपराध के रूप में माना गया है ।

3. इस संधि के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अपराध पैरा 2 के आशय के अंतर्गत अपराधों का होना नहीं माना जाएगा :

(क) कोई अपराध जिसके संबंध में दोनों संविदाकारी पक्षों के वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के लिए अथवा उसके मामले को अभियोजन के रूप में किसी निर्णय के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसी बहु-पक्षीय अंतर्राष्ट्रीय करार के अनुपालन की बाध्यता है;

(ख) हत्या, मानववध या सदोष मानववध, दुर्भावपूर्वक घायल करना या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाना;

(ग) अपहरण, अपवर्तन या बंधक बनाने सहित अवैध नजरबंदी के किसी तुलनात्मक रूप;

(घ) जीवन के लिए घातक या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने वाली अथवा संपत्ति के लिए पर्याप्त हानि पहुंचाने वाले किसी विस्फोटक, विस्फोटक प्रेरक योजना, विध्वंशक योजना, आग्नेशास्त्र या बारूद रखना या उपयोग करना;

(ङ) आतंकवाद से संबंधित कोई अन्य अपराध जो अनुरोध के समय, अनुरोध प्राप्तकर्त्ता राज्य की विधि के तहत एक राजनैतिक अपराध के रूप में नहीं माना गया है;

(च) उल्लिखित अपराधों में से किसी को करने का कोई प्रयास या षड़यंत्र अथवा सहायता करना, उकसाना, प्रेरित करना या करने में भागीदारी करना ।

4. प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा यदि अनुरोध प्राप्त कर्त्ता पक्ष के पास यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध व्यक्ति की जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, जातीय उत्पत्ति, राजनैतिक मत, लिंग या स्थिति के कारण अभियोग चलाने या दण्डित करने के प्रयोजन के लिए किया गया है, अथवा उन कारणों में से किसी के लिए उस व्यक्ति की स्थिति के प्रतिकूल हो या यदि वह व्यक्ति नागरिक और राजनैतिक अधिकारों से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में यथा समाविष्ट, आपराधिक कार्यवाहियों में न्यूनतम गारंटियां प्राप्त नहीं हुई हैं या प्राप्त नहीं होंगी ।

अनुच्छेद -चार
प्रत्यर्पण से मना करने के वैकल्पिक उपाय

प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है यदि अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया है दोनों में से किसी एक संवदिकारी पक्ष के प्रदेश के बाहर किया गया है तथा अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष की विधि ऐसे अपराध पर जब अपने स्वयं के प्रदेश से बाहर किया गया हो, लागू नहीं होती है ।

अनुच्छेद - पांच
मृत्युदण्ड

यदि वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया है अनुरोध कर्त्ता पक्ष की विधि के तहत मृत्यु दण्ड के लिए दण्डनीय है, और यदि ऐसे अपराध के संबंध के मृत्युदण्ड अनुरोध प्राप्त कर्ता पक्ष की विधि द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया है अथवा आमतौर पर निष्पादित नहीं किया जाता है, प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है बशर्तेकि अनुरोध कर्त्ता पक्ष ऐसा आश्वासन देता है तथा अनुरोध प्राप्त कर्त्ता पक्ष पर्याप्त रूप से यह मानता है कि मृत्युदण्ड नहीं दिया जाएगा, या यदि दिया गया तो निष्पादित नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद - छह
अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष में आपराधिक कार्यवाहियों की संस्थित

1. यदि प्रत्यर्पण अनुच्छेद 1(1) अनुच्छेद 3(1क) और अनुच्छेद 3(4) के तहत किन्हीं आधारों पर खारिज किया है, तो अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष मामले को आपराधिक कार्यवाहियों की संस्थिन के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष रखेगा । इस प्रयोजन के लिए अनुरोध कर्त्ता पक्ष क्रिया-विधिक दस्तावेजों और कार्यवाहियों के लिए सभी आवश्यक उपलब्ध सूचना प्रस्तुत करेगा ।

2. अनुरोध प्राप्त कर्त्ता पक्ष संस्थित आपराधिक कार्यवाहियों के परिणाम के बारे में अन्य संविदाकारी पक्ष को तत्काल सूचित करेगा ।

अनुच्छेद - सात
विशिष्टता का नियम

1. कोई व्यक्ति जो प्रत्यर्पित किया गया है उसे प्रत्यर्पण अनुरोध के अलावा जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया था, की प्रस्तुती से पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए उत्पीड़न के किंहीं उपायों या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के अध्यधीन नहीं रखा जाएगा ।

2. इस संधि के तहत प्रत्यर्पित किसी व्यक्ति को अनुरोध कर्त्ता पक्ष में उसके प्रत्यर्पण से पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए नजरबंद या अभियोजित अथवा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी अन्य प्रतिबंध अध्यधीन नहीं रखा जाएगा, निम्नलिखित के अलावा

(क) कोई अपराध जिसके संबंध में वह प्रत्यर्पित किया था या दूसरे अपराध जिसके संबंध में उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध के समर्थन के लिए उपयोग किए गए प्रमाणित तथ्यों के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सका, या

(ख) दूसरा प्रत्यर्पणीय अपराध जिसके संबंध में अनुरोध प्राप्त कर्त्ता पक्ष ने ऐसी नजरबंदी या अभियोजन अथवा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के किसी अन्य प्रतिबंध के अधीन सहमति दी है ।

3. प्रत्यर्पित व्यक्ति अनुरोध प्राप्त कर्त्ता पक्ष की सहमति के बिना, अनुरोध कर्त्ता पक्ष के लिए उसके समर्पण पूर्व में किए गए अपराधों के संबध में किसी तीसरे राज्य के लिए समर्पित नहीं किया जाएगा ।

4. पैरा 3 के तहत मामलें में अनुरोध कर्त्ता पक्ष एक अनुरोध, अनुच्छेद 8(1) (ख) और (ग) में वर्णित दस्तावेज संप्रेषित करेगा और यदि आवश्यक हो, अनुच्छेद 8(1)(क) में वर्णित दस्तावेज अथवा किसी तृतीय राज्य के लिए प्रत्यर्पण के मामले में, प्रत्यर्पण संबंधी बाद वाले का अनुरोध तथा तीसरे राज्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज । अनुरोध के साथ प्रत्यर्पण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या किसी तीसरे पक्ष के लिए उसके प्रत्यर्पण की स्वीकृति देने को ध्यान में रखते हुए अनुरोध कर्त्ता पक्ष के किसी न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा दी गई घोषणाएं संलग्न होनी चाहिए ।

5. पूर्व पैराग्राफों के प्रावधान उस मामले, जिसमें इस व्यक्ति के पास उस पक्ष के प्रदेश को छोड़ने का अवसर था जिसके लिए उसका समर्पण किया गया है, उसने उसकी अंतिम रिहाई के 45 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया है अथवा उसे छोड़ने के बाद स्वयं उसी प्रदेश में लौट आया है, में लागू नही होंगे ।

अनुच्छेद - आठ
अनुरोध और समर्थन दस्तावेज

1. अनुरोध के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों होंगे :-

(क) गिरफ्तारी वारंट की मूल अथवा प्रमाणित प्रति, अथवा यदि अनुरोध एक सजा काट रहे व्यक्ति के लिए किया गया है तो पहले से काटी गई सजा और भुगती जाने वाली सजा का विवरण बताने वाले दस्तावेजों सहित अंतिम दोषसिद्धी और दी गई सजा की मूल अथवा प्रमाणित एक प्रति;

(ख) अपराधों, जिनके लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है का समय और उनके किए जाने का स्थान और लागू कानूनी प्रावधानों का विवरण;

(ग) संबंधित कानूनी प्रावधानों, उनकी परिसीमाओं सहित, का पाठ ;

(घ) वांछित व्यक्ति का यथा संभव सही सही हुलिया, किसी अन्य जानकारी सहित, जिससे उसकी पहचान और राष्ट्रीयता का पता लगाने में सहायता मिले ।

2. यदि सूचना अपर्याप्त पाई जाती है तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष अनुरोध कर्त्ता पक्ष से पैरा । में दी गई परिस्थितियों के बारे में आवश्यक अतिरिक्त सूचना की मांग करेगा और इसकी प्राप्ति के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर सकता है । इस समय सीमा को, उनके कारण बताते हुए अनुरोध पर बढ़ाया जा सकता है ।

3. पहले से ही प्रदान प्रत्यर्पण हेतु दी गई सूचना पर कानूनी सहायता के लिए अतिरिक्त अनुरोध की समीक्षा की जाएगी ।

अनुच्छेद - नौ
अनंतिम गिरफ्तारी

1. दोनों में से कोई एक पक्ष किसी व्यक्ति की अनंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध करता है, जिसकी प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजने की मंशा है तो दूसरा पक्ष अपने कानूनों के अनुसार उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है अथवा प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त होने से पूर्व दबाव के लिए कोई कदम उठा सकता है ।

2. अनंतिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध में, गिरफ्तारी वारंट अथवा उसके विरूद्ध अंतिम दोषसिद्धि, उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध की मंशा, अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, का विवरण उसका समय और अपराध कहां किया गया ; उस अपराध के कानूनी प्रावधान और निर्धारित सजा और यदि आवश्यक हो, सजा का कितना भाग भुगतना शेष है, की सूचना और साथ ही साथ उस व्यक्ति की पहचान के लिए आवश्यक सूचना का, उल्लेख किया जाएगा ।

3. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष बिना किसी विलम्ब के दूसरे पक्ष को उसके अनुरोध की प्रगति और गिरफ्तारी अथवा बल प्रयोग के अन्य कदम के विषय में सूचित करेगा ।

4. किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा उस पर अन्य बल प्रयोग के कदमों को समाप्त कर दिया जाएगा यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष को कोई अनुरोध और अनुच्छेद 8 में वर्णित दस्तावेज उसकी गिरफ्तारी की तारीख अथवा बल प्रयोग करने के अन्य कदमों की तारीख से 90 दिन के समाप्त होने तक प्राप्त नहीं होता है । उपरोक्त समय सीमा की समाप्ति के बाद यदि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अथवा उस पर अन्य कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद - दस
समर्पण

1. यदि प्रत्यर्पण प्रदान कर दिया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के प्राधिकारी वांछित व्यक्ति को अपने प्रदेश से अनुरोध कर्त्ता पक्ष द्वारा बताए गए प्रस्थान के सुविधाजनक स्थान पर छोड़ेगे ।

2. अनुरोधकर्त्ता पक्ष वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के प्रदेश से एक महीने के भीतर अथवा अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कानून के अधीन अनुमत अधिक अवधि में ले लेगा । यदि व्यक्ति को इस अवधि के दौरान नहीं लिया गया है तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता उसी अपराध के लिए उसको प्रत्यर्पित करने में इंकार कर सकता है ।

अनुच्छेद - ग्यारह
अस्थायी प्रत्यर्पण अथवा समर्पण का आस्थगन

1. प्रत्यर्पित किया जाएगा अथवा नहीं का निर्णय किया जाएगा और अनुरोधकर्ता पक्ष को तत्काल इसकी सूचना, बिना इसकी परवाह किए कि वांछित व्यक्ति के विरूद्ध अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के प्रदेश में उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए, आपराधिक कार्रवाई चल रही है अथवा वह सजा काट रहा है।

2. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष, प्रत्यर्पण प्रदान किए जाने के बाद, पैरा 1 में वर्णित आपराधिक कार्रवाईयों अथवा सजा पूरी होने तक समर्पण को आस्थागित कर सकता है । अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष समर्पण को आस्थगित करने की बजाय अनुरोधकर्ता पक्ष के वांछित व्यक्ति को दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमत शर्तों के द्वारा अस्थायी रूप से प्रत्यर्पित कर सकता है । प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति को उसके आवास के दौरान अनुरोधकर्ता पक्ष अपने प्रदेश में बंदी बनाकर रखेगा और सहमत अवधि, जो तीन महीने से अधिक नहीं होगी के भीतर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को वापिस सौंप देगा ।

अनुच्छेद - बारह
सम्पत्ति की सुपुर्दगी

1. यदि प्रत्यर्पण प्रदान कर दिया गया है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपने कानूनों की अनुमत सीमाओं तक अपराध के वास्तविक साक्ष्यों सहित वस्तुओं, (धनराशि सहित) जिनकी साक्ष्य के रूप में जरूरत पड़ सकती है अनुरोधकर्ता पक्ष को सौंप देगा ।

2. यदि प्रश्नगत वस्तुएं अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के प्रदेश में जब्त के योग्य हैं तो वह लम्बित न्यायिक कार्रवाइयों के संबंध में उन्हें अस्थायी रूप से रख सकता है, जब वस्तुएं समपहरण के योग्य हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष उन्हें रख सकता है अथवा उन्हें लौटाने की शर्त पर सौंप सकता है ।

3. इन प्रावधानों से अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष अथवा वांछित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे । जब ऐसे अधिकार मौजूद हों तो वस्तुओं को, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के अनुरोध पर आपराधिक कार्रवाइयों की समाप्ति के बाद, बिना किसी प्रभार के, न्यूनतम समय में लौटा दिया जाएगा ।

अनुच्छेद - तेरह
प्रतिस्पर्द्धी अनुरोध

यदि प्रत्यर्पण अनुरोध एक साथ एक से अधिक राज्यों द्वारा या तो उसी अपराध अथवा भिन्न अपराधों के लिए किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष सभी परिस्थितियों और विशेषरूप से सापेक्ष गंभीरता और अपराधों के किए जाने के स्थानों; अनुरोधों की संबंधित तारीखों, वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता और दूसरे राज्य के लिए तत्पश्चात प्रत्यर्पण की संभावना को ध्यान में रखते हुए, अपना निर्णय करेगा ।

अनुच्छेद - चौदह
आपराधिक कार्रवाईयों के परिणाम के बारें में सूचना

वह संविदाकारी पक्ष जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध आपराधिक कार्रवाईयों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ मंजूर किया गया है, अन्य पक्ष को दिए गए निर्णय की सूचना देगा ।

अनुच्छेद - पन्द्रह
पारगमन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अन्य संविदाकारी पक्ष से प्राप्त अनुरोध पर तीसरे राज्य से प्रत्यर्पित व्यक्ति को उक्त दूसरे पक्ष के अपने प्रदेश से गुजरने की अनुमति देगा ।

2. अनुच्छेद - आठ के प्रावधान पारगमन अनुरोधों पर लागू होंगे । पारगमन से उन्हीं आधारों पर इंकार किया जा सकता है जिनके आधार पर इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है ।

3. यदि बिना उतारे हवाई यात्रा का उपयोग किया जाता है तो उस पक्ष की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी जिसके प्रदेश के उपर से हवाई यात्रा की जाती है । तथापि, अन्य पक्ष उचित समय पर पारगमन के गुजरने की सूचना देगा और व्यक्ति की पहचान, और किए गए अपराध एवं किए गए अपराध के लिए अनुमेय अपने विधिक प्रावधान तथा यदि संभव हो तो सजा की अवधि के बारे में आवश्यक सूचना देगा और यह प्रमाणित करेगा कि या तो गिरफ्तारी का वारंट अथवा अंतिम सजा विद्यमान है । हवाई जहाज के उतरने की स्थिति में इस प्रकार की अधिसूचना का अनंतिम गिरफ्तारी के अनुरोध पर प्रभाव पड़ेगा जैसा कि अनुच्छेद - नौ में व्यवस्था है ।

अनुच्छेद - सोलह
संचार

1. प्रत्यर्पण के अनुरोधों को अनुरोधकर्त्ता पक्ष के राष्ट्रीय विधान के अनुसार औपचारिक रूप दिया जाएगा।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ पत्र - व्यवहार राजनयिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा । अनंतिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इंटरपोल) के माध्यम से भेजा जाएगा ।

3. प्रत्यर्पण, प्रलेखन तथा सभी विधिक एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों के लिए अनुरोध अनुरोधकर्त्ता पक्ष की भाषा में भेजे जाएंगे और उसके साथ अंग्रेजी अथवा अनुरोधप्राप्त कर्त्ता पक्ष की भाषा में प्रमाणित अनुवाद संलग्न होगा ।

अनुच्छेद - सत्रह

प्रत्यर्पण में परस्पर विधिक सहायता

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने कानून द्वारा अनुमत सीमा तक उस अपराध के संबंध में आपराधिक मामलों में दूसरे पक्ष को परस्पर सहायता के व्यापक उपाय प्रदान करेगा जिसमें प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है ।

अनुच्छेद - अट्ठारह

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों अथवा संधियों के अंतर्गत बाध्यताएं

यह संधि उन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों अथवा संधियों से उत्पन्न संविदाकारी पक्षों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगी जिनके वे पक्षकार हैं ।

अनुच्छेद - उन्नीस

खर्च

प्रत्यर्पण का खर्च उस पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा जिसके प्रदेश में वह खर्च किया गया है और व्यक्ति के प्रत्यर्पण के संबंध में किया गया हवाई किराया एवं पारगमन खर्च अनुरोधकर्त्ता पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुच्छेद - बीस

अंतिम प्रावधान

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी ।

2. यह संधि अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान जो संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद यथाशीघ्र होगा, के दूसरे महीने के प्रथम दिन से लागू होगा ।

3. यह संधि असीमित अवधि के लिए सम्पन्न की जाती है । दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस संधि को समाप्त कर सकता है । यह समाप्ति अन्य पक्ष द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख को प्रभावी होगी ।

आज सोफिया में ईस्वी सन दो हजार तीन के अक्टूबर माह के 23वें दिन हिंदी, बुल्गारियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो पाठों में संपन्न । सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । व्याख्या में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

अत: अब प्रत्यर्पण संधि, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि अध्याय-III को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बुल्गारिया गणराज्य पर लागू होंगे ।

[सं. टी.-413/39/1996]

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कोंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2007

TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF BULGARIA

G.S.R. 15(E).—whereas the Extradition Treaty between the Republic of India and the Republic of Bulgaria was signed at Sofia on 23 October, 2003; and as per Article 20 of the Treaty, it has entered into force from 1 February, 2007, and which Treaty provides as follows:

The Republic of India and the Republic of Bulgaria hereinafter referred to as the Contracting Parties, desiring to develop the legal co-operation in the field of extradition have agreed as follows:

Article1

Duty to Extradite

1. Each Contracting Party when duly requested and subject to the provisions and conditions specified in this Treaty, undertakes to surrender to the other Party, persons within its territory, other than its own nationals, who are accused or convicted of any extraditable offence.
2. The Requested Party shall invoke all legally permissible measures in order to suspend naturalisation proceedings in respect of the person sought for extradition by the Requesting Party until a decision has been taken concerning the request for his or her extradition and, where the extradition request is granted, until his or her surrender.

3. Irrespective of the place or places of commission of the extraditable offence the Requested Party shall grant extradition:

   a. When the person whose extradition is requested is a national of the Requesting Party;

   b. When the person sought is not a national of either Contracting Party, provided that the acts and omissions of the person sought amount to an offence affecting the interests of the Requesting Party or any of its nationals under the law of the Requested Party and the latter does not claim jurisdiction to prosecute for the same.

Article 2

Extraditable Offences

1. Extradition shall be granted in respect of offences, which under the law of both Contracting Parties are punishable by a minimum term of imprisonment or other forms of deprivation of liberty for a minimum period of at least one year. In case extradition is requested for the purpose of serving one or more of punishments, extradition shall be granted if the aggregate term of the

sentences, which remain to be served for one or more extraditable offences, is not less than six months.

2. If the request for extradition includes several separate offences, some of which do not fulfil the condition of para 1 with regard to the amount of punishment which may be awarded, extradition shall be granted for the offence, which meets the above specified conditions. This rule shall apply only to offences that meet the other conditions of this Treaty.

3. Subject to the conditions set out in para 1 extradition shall also be granted in respect of an attempt or conspiracy to commit, or aiding, abetting, inciting or participating as an accomplice in the commission of an extraditable offence.

Article 3

Refusal to Extradite

1. Extradition shall not be granted in cases when:

   a. criminal proceedings have been instituted or a judgement has been passed by the judicial authorities of the Requested Party upon the person sought in respect of the offence or offences for which extradition is requested;

   b. by the date of receipt of the request for extradition, the criminal prosecution or the execution of the punishment has been barred by lapse of time that constitutes a limitation under the law of either of the Contracting parties.

2. Extradition shall not be granted if the offence, in respect of which it is requested, is regarded by the Requested Party as a political offence, an offence of political character, or as an offence connected with such an offence.

3. For the purpose of this Treaty the following offences shall not deemed to be offences within the meaning of para 2:

   a. any offence in respect of which both Contracting Parties have the obligation pursuant to a multilateral international agreement to extradite the person sought, or to submit his or her case to their competent authorities for a decision as to prosecution;

   b. murder, manslaughter or culpable homicide, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm;

c. kidnapping, abduction, or any comparable form of unlawful detention, including the taking of hostages;

d. placing or using an explosive, detonating device, destructive device, firearm or ammunition, capable of endangering life, or of causing grievous bodily harm, or of causing substantial property damage;

e. any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as a political offence;

f. an attempt or conspiracy to commit, or aiding, abetting, inciting or participating in the commission of, any of the foregoing offences.

4. Extradition shall not be granted if the Requested Party has substantial reasons to believe that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person on account of his or her race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, sex or status, or that person's position may be prejudiced for any of those reasons; or if that person has not received or would not receive the minimum guarantees in criminal proceedings, as contained in the International Covenant on Civil and Political Rights.

Article 4

Optional Ground to Refuse Extradition

Extradition may be refused if the offence for which extradition is requested has been committed outside the territory of either Contracting Party and the law of the Requested Party does not apply to such offence when committed outside its own territory.

Article 5

Capital Punishment

If the offence for which extradition is requested is punishable by death under the law of the Requesting Party, and if in respect of such offence the death penalty is not provided for by the law of the Requested Party or is not normally carried out, extradition may be refused unless the Requesting Party gives such assurance as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be imposed, or if imposed will not be carried out.

Article 6

Institution of Criminal Proceedings in the Requested Party

1. If extradition is refused on any of the grounds under Article1(1), Article 3(1a) and Article 3(4), the Requested Party shall submit the case to its competent authorities for institution of criminal proceedings. For this purpose the Requesting Party shall submit the procedural documents and all available information necessary for the proceedings.

2. The Requested Party shall immediately inform the other Contracting Party on the outcome of the instituted criminal proceedings.

Article 7

Rule of Speciality

1. A person who has been extradited shall not be subjected to any measures of coercion or restriction in his or her personal freedom for any offence committed prior to submission of the extradition request other than that for which he was extradited.

2. A person extradited under this Treaty shall not be detained or tried or be subjected to any other restriction of his personal liberty in the Requesting Party for any offence committed before his extradition, other than:

   a. an offence in respect of which he was extradited, or another offence in respect of which he could be convicted based on the proven facts used to support the request for his extradition, or

   b. another extraditable offence in respect of which the Requested Party has consented to his or her being so detained or tried, or subjected to any other restriction of his or her personal liberty.

3. The extradited person shall not, without the consent of the Requested Party, be surrendered to a third State in respect of offences committed before his or her surrender to the Requesting Party.

4. In the case under para 3 the Requesting Party shall transmit a request, the documents mentioned in Article 8 (1) (b) and (c), and if necessary - the documents mentioned in Article 8 (1) (a) or in the case of extradition to a third state, the request of the latter for extradition and the documents submitted by the third State. The request shall be accompanied by declarations given by the extradited person before a Judicial Authority of the

Requesting Party with a view to extending the scope of the extradition or giving consent to his or her extradition to a third Party.

5. The provisions of the preceding paragraphs shall not apply in case when having had the opportunity to leave the territory of the Party to which the extradited person has been surrendered, he or she has not done so within 45 days of his or her final discharge or has voluntarily returned to that territory after having left it.

Article 8

Request and Accompanying Documents

1. The request shall be accompanied by:

   a. the original or an authenticated copy of the warrant of arrest, or if the request has been made in view of serving a sentence, an original or an authenticated copy of the final conviction and sentence, together with a document specifying the part of the punishment which has already been served and the part which remains to be served;

   b. a description of the offences for which extradition is requested indicating the time and place of their commission and the applicable legal provisions;

   c. the text of the relevant legal provisions, including limitations;

   d. as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information, which will help establish his or her identity and nationality.

2. If the information is found to be insufficient, the Requested Party shall require the Requesting Party to give the necessary supplementary information about the circumstances mentioned under para 1 and may fix a time limit for the receipt thereof. This time limit may be extended upon a request giving the reasons thereof.

3. Additional requests for legal assistance in connection with the extradition already granted shall be examined in the context of the information already furnished on the case.

Article 9

Provisional Arrest

1. If one of the Parties applies for provisional arrest of a person, whose extradition it intends to request, the other Party may, in accordance with its law, arrest that person or impose any other measure of compulsion prior to the receipt of the request for extradition.

2. The request for provisional arrest shall contain a statement of the existence of a warrant of arrest or a final conviction against him, a declaration of intention to request the extradition of that person; a description of the offence for which extradition is requested indicating the time and place of its commission; legal provisions, applicable to the offence and the prescribed punishment, and if necessary, information about what part of the sentence remains to be served, as well as the information necessary for the identification of the person.

3. The Requested Party shall inform without delay the other Party of the progress of its request and of the date of arrest or imposition of another measure of coercion.

4. The arrest of the person or the other measures of coercion shall be terminated if the Requested Party has not received a request and the documents mentioned in Article 8 upon the expiration of 90 days from the date of the arrest or the date of the execution of the other measures of coercion. This provision shall not prevent re-arrest or imposition of other measures of coercion if the request for extradition is received after the expiration of the above time limit .

Article 10

Surrender

1. If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested Party to such a convenient point of departure from the territory of that Party as the Requesting Party shall indicate.

2. The Requesting Party shall take over the person sought from the territory of the Requested State within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requesting Party . If the person is not taken over within that period, the Requested State may refuse to extradite him or her for the same offence.

Article 11

Temporary Extradition or Postponement of Surrender

1. The decision whether or not to extradite shall be taken and immediately communicated to the Requesting Party, regardless of whether criminal proceedings against the person sought have been instituted in the territory of the Requested Party, or whether he or she is serving a sentence on the territory of the Requested Party in respect of an offence other than that for which extradition is requested.

2. The Requested Party may, after having granted extradition, postpone the surrender until the criminal proceedings or the sentence referred to in para 1 are completed. The Requested Party may instead of postponing surrender, temporarily extradite the person sought to the Requesting Party in accordance with conditions to be determined by mutual agreement between the Parties. The extradited person shall be detained during his or her stay in the territory of the Requesting Party and shall be transferred back to the Requested Party within the agreed period, which shall not exceed three months.

Article 12

Handing over of Property

1. When a request for extradition is granted, the Requested Party shall, upon request and in so far as its law allows, hand over to the Requesting Party the articles (including sums of money) which may serve as evidence, including real evidence of the offence.

2. If the articles in question are liable to seizure in the territory of the Requested Party, the latter may, in connection with pending judicial proceedings, temporarily retain them. When the articles are liable to confiscation the Requested Party may retain them or hand them over on condition that they are returned.

3. These provisions shall not affect the rights of the Requested Party or the rights of any person other than the person sought. When such rights exist, the articles shall be returned upon request from the Requested Party without imposing any charges, within the shortest time after the termination of criminal proceedings.

Article 13

Competing Requests

If extradition is requested concurrently by more than one State, either for the same offence or for different offences, the Requested Party shall make its decision having regard to all circumstances and especially the relative seriousness and place of commission of the offences, the respective dates of the requests, the nationality of the person sought and the possibility of subsequent extradition to another State.

Article 14

Information on the Result of Criminal Proceedings

The Contracting Party, whose extradition request has been granted for the purpose of carrying out criminal proceedings, shall communicate to the other Party the rendered verdict.

Article 15

Transit

1. Each Contracting Party, on submission of a request from the other Contracting Party, shall allow transit through its territory of a person extradited from a third State to that other Party.

2. The provisions of Article 8 shall apply to transit requests. Transit may be refused on the same grounds on which extradition may be refused under this Treaty.

3. If air-transport without landing is used, the permission of the Party over whose territory the flight is made, shall not be necessary. The other Party shall, however, notify in due time the transit passing and shall provide the information necessary to identify the person, and relating to the offence committed, its legal provisions applicable to the offence committed and to the term of the sentence, if possible, and shall certify that either warrant of arrest or final imprisonment sentence exist. In case of a landing, such notification shall have the effect of a request for provisional arrest as provided for in Article 9.

Article 16

Communications

1. The requests for extradition shall be formalised in accordance with the national legislation of the Requesting Party.

2. For the purposes of this Treaty communications shall be carried out through a diplomatic channel. The request for provisional arrest may also be transmitted through the International Organisation of Criminal Police (INTERPOL).

3. Requests for extradition, documentation and all legal and other accompanying documents shall be sent in the language of the Requesting Party and shall be accompanied by a certified translation into English or in the language of the Requested Party.

Articles 17

Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting Party shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence in respect of which extradition has been requested.

Article 18

Obligations under International Conventions or Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from international conventions or treaties to which they are parties.

Article 19

Expenses

Extradition expenses shall be borne by the Party on whose territory they have been incurred and airfares and transit expenses incurred in relation to the extradition of the person shall be borne by the Requesting Party.

Article 20

Final Provisions

1. This Treaty shall be subject to ratification.

2. This Treaty shall enter into force on the first day of the second month following the month of the exchange of instruments of ratification, which shall take place as soon as possible after signing of the Treaty.

3. This Treaty is concluded for an unlimited period. Either of the Contracting Parties may denounce this Treaty at any time. Denunciation shall take effect on the date of expiration of a six month period following the date of the receipt of the notification by the other Party.

Done in duplicate at SOFIA on 23rd day of October, 2003 in Hindi, Bulgarian and English languages, the three texts being equally authentic. In case of any difference in the interpretation, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1)of the Section 3 of the Extradition act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Bulgaria form the dated of the publication of this notification.

[No. T-413/39/1996]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054